0910032

पत्र संख्या-विधि / वैट-तीन-(2)-निवेश मित्र- (2009-2010) 403 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(विधि / वैट अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: जुलाई 17, ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

विषयः- वेब आधारित एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों को स्वीकृतियां / अनुमतियां / अनापत्तियां / प्रमाण पत्रों आदि के समयबद्ध रुप से निर्गत कराने हेतु ''निवेश मित्र'' की व्यवस्था।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या - 1022/ 77-6-2009/08 दिनांक 4-6-2009 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन के इस पत्र के अनुसार प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने हेतु पूर्व में ''एकल मेज वेब आधारित व्यवस्था '' लागू की गयी थी। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं उद्योगपरक बनाने हेतु ''निवेश मित्र'' व्यवस्था लागू की गयी है , जो प्रथम चरण में 18 जनपदों-- रामपुर, ज्योतिबाफुलेनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, हाथरस, अलीगढ़ , आगरा, फतेहपुर, गाजीपुर, मथुरा व गोण्डा में प्रारम्भ की जा रही है।

इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है :-

1- इस व्यवस्था को प्रथम चरण के जनपदों में दिनांक 6-7-2009 से क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों के स्वीकृतियों / अनुमातियों/ अनापत्तियों / प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित आवेदन निवेश मित्र की वेबसाइट http:// niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से ''ऑनलाइन'' प्राप्त किये जायेंगे। यदि किसी उद्यमी को ऑनलाइन फार्म भरने में कठिनाई होती है तो वह अपना फार्म महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क की सहायता से भर सकेगा।

3- इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां /अनुमतियां /अनापत्तियां व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की विस्तृत प्रक्रिया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र में वर्णित है। उद्योगों को वाणिज्य कर विभाग से सर्वप्रथम वैट अधिनियम के अन्तर्गत तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना होता है। अत: इन पंजीयनों के संदर्भ में उक्त ''निवेश मित्र'' व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी है :-

(1) उद्यमी द्वारा निवेश मित्र की वेबसाइट पर पंजीयन कराने के उपरान्त वेबसाइट पर उपलब्ध वैट पंजीयन एवं केन्द्रीय बिक्रीकर पंजीयन के फार्म भरे जायेंगे एवं साथ ही पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न संलग्नक स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

(2) उद्यमी द्वारा इसके अतिरिक्त पंजीयन शुल्क का चालान भी स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा एवं चालान का विवरण पंजीयन प्रार्थना पत्र में भरा जायेगा ।

(3) उद्यमी द्वारा उक्त प्रकार से पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त पंजीयन प्रार्थना पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर एवं उसपर यथास्थान आवेदक व फर्म के साझीदारों आदि के हस्ताक्षर कराकर उसे सम्बन्धित महाप्रबन्धक जिला उद्योग कार्यालय में जमा किया जायेगा । साथ में उसके द्वारा पंजीयन शुल्क चालान की मूल प्रति भी उक्त हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ जमा की जायेगी तथा महा प्रबन्धक जिला उद्योग द्वारा यह समस्त अभिलेख वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित जनपद के पंजीयन प्राधिकारी को भेज दये जायेगें ।

(4) उद्यमी द्वारा ऑनलाइन भरें गये पंजीयन प्रार्थना पत्र की जांच सर्वप्रथम महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ही की जायेगी तथा जांच के उपरान्त फार्म पूर्ण पाये जाने की दशा में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा जो स्वत:वाणिज्य कर विभाग के प्रदेश स्तर पर नामित अधिकारी को ऑनलाइन प्राप्त जायेगा ।

(5) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से ऑनलाइन प्राप्त पंजीयन प्रार्थना पत्रों की प्रतिदिन जांच सम्बन्धित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा कोई कमी न पाये जाने पर उनके द्वारा इसकी सूचना प्रदेश स्तर पर नामित अधिकारी को दी जायेगी । पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई कमी पाये जाने पर भी उसकी सूचना प्रदेश स्तर पर नामित अधिकारी को दी जायेगी जो ई-मेल से इन कमियों के बारे में उद्यमी को सूचित करेगा ।

(6) उद्यमी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण पाये जाने अथवा उसके द्वारा कमियों का निराकरण करा देने के उपरान्त पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र का प्रिन्टआउट निकालकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी तथा उद्यमी का बायोमैट्रिक डाटा देने हेतु तिथि नियत करते हुये इसकी सूचना प्रदेश स्तर पर नामित अधिकारी को दी जायेगी जिनके द्वारा पुन: इसकी सूचना ई-मेल के माध्यम से उद्यमी को अग्रसारित की जायेगी ।

(7) पंजीयन प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि पर उद्यमी का बायोमैट्रिक डाटा लेते हुये तथा पंजीयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करते हुये पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा तथा इसकी स्कैन्ड की हुई कापी वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ प्रमाण पत्र की मूल प्रति महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को भेज दी जायेगी जहॉ से उद्यमी इसे प्राप्त कर सकेगा ।

4- उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किये जाने के अतिरिक्त उक्त 18 जनपदों में एक-एक प्राधिकृत स्वीकर्ता अधिकारी नामित किया जाना है । यह प्राधिकृत स्वीकर्ता अधिकारी सम्बन्धित जनपद का पंजीयन प्राधिकारी ही होगा परन्तु यदि किसी जनपद में एक से अधिक पंजीयन प्राधिकारी कार्यरत हैं तो आलोच्य व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने हेतु एक अधिकारी विशेष को चिन्हित करना होगा । **अत: कृपया सम्बन्धित जनपद के पंजीयन प्राधिकारी अथवा उक्त प्रकार से चिन्हित अधिकारी का विवरण तत्काल मुख्यालय भेजने का कष्ट करें ताकि प्राधिकृत**

स्वीकर्ता अधिकारी को वेबसाइट के प्रयोग हेतु यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध कराया जा सके।
प्रदेश स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी का नामांकन मुख्यालय स्तर से अलग से किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त वांछित सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :: उपरोक्तानुसार।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस निवेदन के साथ प्रेषित की शासन के पत्र संख्या 1022 दिनांक 4-6-2009 के अनुसार ऑन लाईन पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाना है लेकिन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 32 के अनुसार फर्म के स्वामी / पार्टनर / डायरेक्टर / अथाराइज सिग्नेटरी में किसी एक व्यक्ति को वाणिज्य कर कार्यालय उपस्थित होकर बायोमेट्रिक डाटा का कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित करने का कष्ट करें।
3- प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन।
4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शासन।
6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7- समस्त परिक्षेत्रीय अपर / संयुक्त निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
8- मण्डलायुक्त आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर , चित्रकूटधाम, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली,बस्ती, विन्ध्याचल, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर।
9- जिलाधिकारी रामपुर, ज्योतिबाफुलेनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, हाथरस, अलीगढ़ , आगरा, फतेहपुर, गाजीपुर, मथुरा व गोण्डा।
10- समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तर प्रदेश।
11- लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन समस्त प्राधिकरण एवं निगम।
12- निदेशक, एन0 आई0 सी0, लखनऊ।

17/7/09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।